न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 05/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/7

अपीलाण्ट :—
1. वेरसिंह पुत्र मूलसिंह,
2. राजूसिंह पुत्र वेरसिंह,
जातिगण रजपूत निवासीगण ग्राम आइचिया, तहसील पाली हाल निवासी गुडा प्रतापसिंह तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. भूरसिंह पुत्र भलाजी (भलसिंह)
2. जोधसिंह पुत्र भलाजी (भलसिंह) के कायम मुकाम :—
2/1. उगली पत्नी जोधसिंह
2/2. राजूसिंह पुत्र जोधसिंह
2/3. पुसियाकंवर पुत्री जोधसिंह
जातिगण रजपूत निवासीगण ग्राम आईचिया तहसील व जिला पाली
3. लालसिंह पुत्र खुमसिंह जाति रजपूत निवासी आईचिया तहसील पाली जिला पाली
4. केराराम पुत्र जेयरूपराम जाति देवासी निवासी आईचिया तहसील पाली जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
सरकारी पेरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 30.12.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम आईचिया के नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 21.05..... जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी। सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित। रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 04 वकालतन एवं असालतन वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम आईचिया के गत खसरा संख्या 328 रकबा 10 बिस्वा जो हाल हाल खसरा संख्या 328/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा के रूप में रेस्पोडेण्ट के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। जो खातेदारी गलत व विधि विरूद्ध दर्ज चली आ रही

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

है। ग्राम आईचिया के खसरा संख्या 328 जो जमाबन्दी संवत् 2034 से संवत् 2037 के अनुसार खाता संख्या 01 में कुल रकबा 80 बीघा गैर मुमकिन बाड़े के रूप में दर्ज थी एवं उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 142 में कॉलम संख्या 02 में 01 नम्बर एवं कॉलम संख्या 04 में राजस्थान सरकार, कॉलम संख्या 05 में बिलानाम, खसरा संख्या 327 रकबा 01 बीघा किस्म गैर मुमकिन दर्ज है जिस भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आवंटन/नियमन के रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पिता भलसिंह पुत्र हेमसिंह जाति रजपूत के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जो कानून विरूद्ध दर्ज की गई है। क्योंकि प्रथमतः उक्त भूमि गैर मुमकिन बाला की होने से आवंटन/ नियमन या खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती थी फिर भी राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 में नीचे तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आदेश के रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पिता भलसिंह का नाम का खातेदारी इन्द्राज प्रविष्टि दर्ज कर दी तथा तत्कालीन आर.आई. ने भी इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की एवं स्वीकृत अधिकारी नायब तहसीलदार ने भी मौका एवं रिकॉर्ड की कोई जांच किये बिना ही केवल मात्र पटवारी की इन्द्राज प्रविष्टि को ही स्वीकृत कर दिया जो कूनन नियम विरूद्ध है। जैर आराजी गैर मुमकिन बाला की होने से किसी भी रूप से आवंटन/नियमन या खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती थी फिर भी बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सीधे रूप से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की आड़ में खातेदारी दर्ज करने का स्वीकृत आदेश किया गया है व पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनन विधि–विरूद्ध है। जैर नामान्तरकरण संख्या 142 जो मोतीसिंह,, जयसिंह पिसरान् गिरधारीसिंह जाति रजपूत साकिन गैर खातेदार संवत् 2024 के 10 साल पूरे होने पर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था लेकिन उक्त नामान्तरकरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच के खसरा संख्या 328 के संबंध में कॉलम संख्या 11 में भलसिंह वल्द हेमसिंह रजपूत साकिन देह खातेदार कॉलम संख्या 12 में खसरा संख्या 328 रकबा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा के रूप में दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राज प्रविष्टि पूर्णतया दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर दर्ज की गई है। उक्त खसरा संख्या 328 की भूमि कभी भी भलसिंह वल्द हेमसिंह को न तो नियमन की गई और न ही आवंटित की गई और न ही भलसिंह के नाम कभी भी गैर खातेदारी की दर्ज रही फिर भी पटवारी हल्का द्वारा भलसिंह के साथ मिलावट करके भलसिंह को फायदा पहुंचाने की नियत से सीधे खातेदारी इन्द्राज प्रविष्टि भलसिंह को फायदा पहुंचाने की नियत से सीधे खातेदारी इन्द्राज प्रविष्टि भलसिंह के नाम की दर्ज कर दी जो इन्द्राज प्रविष्टि नियम विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई। प्रकरण में रेस्पो. संख्या 01 की ओर से दिनांक 15.05.2024 को अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया परन्तु उसके बाद किसी भी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। शेष रेस्पो. संख्या 02 के कायम मुकाम, रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित ही रहे है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा जाब्ता के आवेदन, अखंडित शपथ–पत्र एवं समायतशुदा बहस के आधार हम

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

प्रार्थना–पत्र दफा 05 एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में मौलिक रूप से अपीलाण्ट का यह कथन है कि ग्राम आईचिया के नामान्तरकरण संख्या 142 की स्वीकृति दिनांक 21.05..... है। उक्त नामान्तरकरण में रेस्पो. संख्य 01 से रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वज/पूर्वाधिकारी के लिये उक्त नामान्तरकरण इस आशय से दर्ज किया गया कि उसे पूर्व में आवंटित आराजी की आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने से खातेदारी हक का नामान्तरकरण आदेश नायब तहसीलदार/14.12.1979 के आधार पर भरा गया है परन्तु उक्त आदेश में मोतीसिंह के नाम से दर्ज गैर खातेदारी की भूमि को खातेदारी देने के अलावा उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 में खाता संख्या 01 की बिलानाम आराजी संख्या 328 में से 01 बीघा भूमि का इन्द्राज रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वजों के नाम कर दिया जिसके लिए कोई आवंटन/नियमन का आदेश नहीं था। उक्त भूमि की किस्म प्रतिबन्धित किस्म की गैर मुमकिन वाला थी। जैर नामान्तरकरण देखने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण में खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिनांक 14.12.1979 के अलावा पृथक से एक बिलानाम आराजी 328 में से 01 बीघा भूमि का भलसिंह पुत्र हेमसिंह का नाम किन आधारों पर दर्ज किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है तथा उक्त भूमि के आवंटन/नियमन आदेश का भी अंकन नहीं है। भूमि की किस्म प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रतिबन्धित है अथवा नहीं, इसका भी अंकन नहीं है तो इन परिस्थितियों में यह निसन्देह ही संशय का आधार बनता है कि नामान्तरकरण संख्या 142 में प्रथम प्रविष्टि जिसकी खाता संख्या 130 के रूप में की गई है तथा गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई है। इसके अलावा उसी नामान्तरकरण में नीचे खाता संख्या 01 से बिलानाम आराजी संख्या 328 में से 01 बीघा रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वजों/पूर्वाधिकारियों के नाम किन आधारों पर दर्ज की गई यह जैर नामान्तरकरण पर स्पष्ट नहीं है। हम यह उचित मानते है कि नामान्तरकरण संख्या 142 में खाता संख्या 01 की आराजी संख्या 328 का रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वज/पूर्वाधिकारियों भलसिंह के नाम दर्ज की गई; वह प्रथम–दृष्ट्या बिना आधारों के दर्ज की गई है। जैर नामान्तरकरण संख्या 142 में खाता संख्या 01 से संबंधित आराजी संख्या 328 की हद तक नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्व रेकर्ड अनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर तथा मौके की जांच कर विधि–सम्मत निर्णय पारित करे। तब तक उक्त भूमि का किसी प्रकार का विक्रय हस्तानान्तरण नहीं हो बाबत् आशय का नोट संबंधित जमाबन्दी में अंकन करवाये ताकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक भूमि संरक्षित रह सके तथा अन्य विधिक पेंचीदीगिया उत्पन्न नहीं हो।

उपरोक्तानुसार नामान्तरकरण संख्या 142 ग्राम आईचिया में बिलानाम आराजी संख्या 328 में रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 04 के पूर्वजों/पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश तक उक्त नामान्तरकरण संख्या 142 के निर्णय को अपास्त किया जाकर निर्देशानुसार कार्यवाही के लिए प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner